

प्रकरण सं 027/20 अनवान

तेजकर/सुपेक
कर

Continuation Note Sheet

14.5.22

Withdraw
रु. की चीज
कर ल

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.05.2022 में पेश हुई। वादी की ओर से वकील वादी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण का राजीनामा हो चुका है। इसलिए प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहते। प्रकरण को आज राष्ट्रीय लोक अदालत में दाखिल दफतर किया जावे। वकील वादी द्वारा आदेशिका पर नोटप्रेस अंकित किया गया। वादी की ओर से वकील वादी के निवेदन एवं वादी में आगे कार्यवाही नहीं चाहने पर वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

14.5.22
(राजकुमार दुदाडा)

सदस्य

लोक अदालत

बेंच संख्या-9

श्रीगंगानगर

(राजस्थान न्यायालय)

(नवदीप)

अध्यक्ष

लोक अदालत

बेंच संख्या-9, श्रीगंगानगर

